डिक्री

ायालय उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) भादरा, जिला हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी :—श्री भागीरथ राम आर.ए.एस.

न0 — 259 / 2025

वान : —

1. सूरज गिर पुत्र चुन्नी गिर जाति गुसाई निवासी नेठराना तहसील भादरा हनुमानगढ़।

:—वादी

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व भादरा।

:—प्रतिवादी

दावा बाबत अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

आज यह वाद मुझ भागीरथ राम उपखण्ड अधिकारी भादरा के समक्ष वकील वादी श्री गेश शर्मा उपस्थिति में निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी डिक्री किया जाता है तथा षणा की जाती है कि चक रोही मोजा चक 8 बारानी के खाता संख्या 278 / 251 के मु0न0 की कुल 0.3570 है0 राजस्व रिकॉर्ड दर्ज है में सुरजगिरी पुत्र चुनीगिरी की जगह वादी का ही नाम सूरज गिर पुत्र चुन्नी गिर दर्ज किया जाकर राजस्व रिकार्ड दुरूस्त किया जावे। दि किसी संस्था, किसी न्यायालय आदि में कोई मुकदमा अथवा कोई बकाया देय आदि रजगिरी पुत्र चुनीगिरी के नाम से हो तो उसके लिए वादी का नाम सुरजगिरी पुत्र चुनीगिरी लागू होगा। यदि कृषि भूमि रहन है तो रहन मुक्त होने के उपरांत उपरोक्तानुसार राजस्व कॉर्ड में अमल दरामद किया जाकर रिकार्ड दुरूस्त किया जावे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 30.01.2026 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से री की गई।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) भादरा जिला-हनुमानगढ़

(भागीरथ राम)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
भादरा (जिला हनुमानगढ़) R.A.S
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
भादरा जिला हनुमानगढ़

Signature Not Verified

Digitally signed by Bhagirath Ram
Date: 2026.05.07 11:55:39 IST
Reason: SelfAttested